संख्या-497/2024/ 502 पी /24-27-सिं0-4/001-122(डब्ल्यू)परि0/2024

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2024

विषय: जनपद बलिया में पुर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 28.800 तक पुनर्स्थापना एवं सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-862/1552/परियोजना/कैम्प/बजट दिनांक 18 जून, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"जनपद बलिया में पुर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 28.800 तक पुनर्स्थापना एवं सीमांकन कार्य की परियोजना "** लागत रू0 543.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक-4701-08-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 427.89 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि 271.50 लाख (रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रबन्धन वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रायोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/डिपाजिट में न रखी जाय।

7- प्रायोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय पर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस 2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, **2023** में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

11- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी। उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप

https://shasanadesh.up.gov.in/

संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

12- परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं।

13- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओ को जो धनराशि अवमुक्त की जाएगी वो कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही कराया जाये। उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनाक 19 जून 2024 में वित्तीय हस्तपुस्तिकाओ के सुसंगत प्रावधानों तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा ।

15- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा ।

2-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,71,50,000 (रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4701080511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-84-X-2024-25, दिनांक-06-08-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव,

संख्या-497/2024/ 502 पी /24-27-सिं0-4/001-122 (डब्ल्यू)परि0/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
7- मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- अनु सचिव,नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
बी0 एन0 तिवारी
उप सचिव,

https://shasanadesh.up.gov.in